अनवान..

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/5/19	आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अध्ययन व मनन किया गया। वसीयत के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी चक 5 OGG के मु०नं. 23,33 = 5.450 है०. नहरी भूमि रूपचन्द पुत्र मोहनलाल जाति अरोड़ा सा० देह खातेदार दर्ज राजस्व कालिजात है। प्रश्नगत रकबा पुश्तैनी भूमि न होकर स्व: अर्जित है। प्रश्नगत रकबे पर कब्जा काश्त वसीयतनुसार है। रकबा रहन नहीं है। प्रश्नगत रकबे पर किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन स्टे नहीं है। प्रश्नगत रकबा सीलिंग सीमा में प्रभावित नहीं है। प्रश्नगत रकबा किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित आवंटित नहीं है। इस कार्यालय के पत्रांक 666-67 दिनांक 28/3/19 को वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/एतराज हेतु जारी सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र सीमा संदेश दिनांक 1/4/19 के अंक में पृष्ठ संख्या कॉलम संख्या पर प्रकाशित की गई। समाचार पत्र सीमा संदेश दिनांक 1/4/19 को सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में वसीयत के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुये है। वसीयत में दर्ज गवाहान श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल जाति अरोड़ा निवासी 5 OGG और विनोदकुमार पुत्र प्यारेलाल जाति अरोड़ा निवासी 5 OGG के बयानातनुसार वसीयतकर्ता रूपचन्द पुत्र मोहनलाल जाति अरोड़ा ने वसीयत अपने जीवनकाल में चक 5 OGG के

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	मुरब्बा नम्बर 23 के 11 बीघा 16 बिस्वा नहरी और मुरब्बा नम्बर 33 में 9 बीघा 15 बिस्वा नहरी भूमि की वसीयत अपने पुत्र मनोजकुमार के हक में 4 बीघा 12 बिस्वा व 5 बीघा 3 बिस्वा अपने पुत्र दीपक कुमार व मु.नं. 23 में 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपने पुत्र संजीव कुमार के हक में करवाई है। वसीयतकर्ता वसीयत लिखवाते वक्त पूरे होस-हवास में, बिना किसी नशे पते के और बिना किसी दबाव/उत्पीड़न के थी। वसीयतकर्ता ने यह वसीयत पूरे होस-हवास में, बिना किसी नशे पते के, बिना किसी दबाव/उत्पीड़न के और अपनी पूर्ण स्वेच्छा से व अपनी पूर्ण रजामन्दी से हमारे सामने लिखवाई है। वसीयतकर्ता का देहान्त दिनांक 9/6/2018 को देहान्त हो चुका है। वसीयतकर्ता ने वसीयत हमारे सामने दिनांक 10/9/97 को करवाई है। मौके पर कब्जा काश्त वसीयतनुसार है और मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहान के बयानात, रिपोर्ट पटवारी का गहन अध्ययन व मनन किया गया। राजस्थान भू अभिलेख नियमावली के नियम 131(2) के तहत वसीयत की वैधता प्रमाणित होती है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को अन्तर्गत धारा 135(1) L R Act के तहत वसीयतनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

तहसीलदार (मु.श्री)